

LL.B. I Sem., Examination, Dec., 2016
Law-II(Constitutional law of India-I) (Nature of the
Constitution and Fundamental Right)

Time: Three Hours]

(K-1002)

[M.M. : 100]

Note: सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Note: सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति

**लघु उत्तर अपेक्षित है। Attempt all the five questions. Each question carries
4 marks. Very Short answer is required not exceeding 75 words.**

1. 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए शब्दों को लिखिए। Write down the inserted words in the preamble of the Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act.
2. मूल अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है? अति सूक्ष्म विवेचना कीजिए। Against whom the Fundamental Rights are available? Discuss in very brief.
3. किन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है? Under what conditions the fundamental rights can be suspended?
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में प्रदत्त अधिकारों को जिखिए। Write down the rights contained in Articles 23 and 24 of the Constitution of India.
5. भारतीय संविधान में कौन-कौन से मौलिक कर्तव्य प्रदान किये गए हैं? What are the fundamental duties provided under the Indian constitution?

खण्ड-3

Note: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words.

6. "मूल अधिकारों एवं राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन भारतीय संविधान के मूलभूत ढाँचे का आवश्यक तत्व है।" निर्णीत वादों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। <http://www.ccsustudy.com>
 "The harmony and balance between fundamental rights and directive principles of state policy is an essential feature of the basic structure of the constitution." Discuss with the help of decided cases.
7. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 'स्वेच्छाचारी बन्दीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण' की व्याख्या कीजिए। Explain the "safeguards against arbitrary arrest and detention" as provided by the Indian Constitution.
8. "समान के बीच समानता का व्यवहार समता का अर्थ है, असमान के बीच समानता का व्यवहार समता का अर्थ नहीं है।" निर्णीत वादों की सहायता से इस कथन की व्याख्या कीजिए। "Like should be treated alike is the, meaning of equality, unlike should be treated alike is not the meaning of equality." Discuss with the help of decided cases.

खण्ड-स (Section-C)

Note: निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। विरतृत उत्तर अपेक्षित है। Attempt any three questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail.

9. भारतीय संविधान लगभग अर्द्धसंघीय शासन पद्धति की स्थापना करता है, एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में हैं न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। "व्याख्या कीजिए।
The Indian Constitution establishes a system of Government which is almost quasi-federal, a unitary state with a subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features." Explain.
10. निर्णीत वादों की सहायता से बाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रसरणशील कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। यह अधिकार कहाँ तक अश्लीलता एवं न्यायालय के अवमान के आधारों पर निर्वन्धित किया जा सकता है? <http://www.ccsustudy.com>
With the help of decided cases discuss the expanding scope of the freedom of speech and expression. How far can the right be restricted on the grounds of obscenity and contempt of court ?
11. निर्णीत वादों की सहायता से पंथनिरपेक्ष भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत धार्मिक रवतंत्रता की विवेचना कीजिए। With the help of decided cases discuss religious freedom guaranteed under secular Indian Constitution.
12. गोपालन से लेकर अद्यतन निर्णयन विधि तक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत से परिवर्तन एवं नवीन प्रवर्तन हुए हैं। इन नवीन प्रवर्तनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। The right to life and personal liberty has undergone many changes and innovations from Gopalan to the recent case law. Critically evaluate the innovations.
13. निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के अन्वेषण 29 एवं 30 में प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के संरकृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों की विवेचना कीजिए। With the help of decided cases discuss the cultural and educational rights of Minorities guaranteed under Articles 29 and 30 of the Constitution.

<http://www.ccsustudy.com>
Whatsapp @ 9300930012
Send your old paper & get 10/-
अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पाएं,
Paytm or Google Pay से